MACT Case N0. 55/2025 शांति देवी बनाम दिव्य साहू उर्फ शनि साहू वगैरह

Witness No. .. **01** .....for.... **आवेदक साक्षी** ..Deposition taken

the... **24-01-2026** .....day of **शनिवार** ...Witness's age..... **43 वर्ष**

States on offirmation. **शपथपूर्वक कथन** my name is .. **शांति देवी**

W of .. **श्री सम्मपत लाल** occupation .. **गृहणी**

address. **ओमपुर रजगामार कोरबा जिला-कोरबा छ०ग०**

समय-01.30 बजे से।

12- मैंने प्रकरण में आदेश 18 नियम 04 व्य०प्र०संहिता के तहत शपथ पत्र पर कंडिका 01 से 11 तक अपना मुख्य परीक्षण दिनांक 14-10-2025 को पेश किया है। मेरे द्वारा अपने दावा के समर्थन में अपराधिक प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन **प्र०पी०-01**, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र०पी०-02**, अपराध विवरण **प्र०पी०-03**, आवेदक का मुलाहिजा रिपोर्ट **प्र०पी०-04**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र०पी०-05** एवं **प्र०पी०-06**, गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०-07**, आहत के ईलाज का बिल **प्र०पी०-08** से **प्र०पी०-09**, अपगंता प्रमाण पत्र **प्र०पी०-10** , ईलाज का बिल **प्र०पी०-11** पेश किया गया है । मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावें ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतु साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र०-02

13- मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं । यह कहना गलत है कि मेरा मुख्य परीक्षण मेरे बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वह चौड़ी सड़क है, दो ट्रक आराम से जा सकता है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय हमारी गाड़ी डगमगा गई थी । यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पति की लापरवाही से घटित हुई थी । स्वतः कहा कि हमारी गाड़ी अपनी साईड से चल रही थी। यह कहना गलत है कि मुझे आई चोटें मेरे खुद के गिरने से कारित हुई थी । यह कहना सही है कि मैंने सिलाई-कढ़ाई का काम करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर०एन०राठौर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र०-03

14- दुर्घटना के समय मैं, मोटरसायकल पर सवार होकर कोरबा से रजगामार की ओर जा रही थी । जिस मोटरसायकल से दुर्घटना हुई थी वह रजगामार की ओर से आकर कोरबा की तरफ जा रहा था । प्र०पी०-02 की रिपोर्ट मेरे पति सम्मपत लाल

द्वारा कोरबा कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी । यह कहना सही है कि प्र०पी०-02 में मेरे द्वारा मोटरसायकल क्र०- CG-12-CZ-9448 द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना लिखाया गया है । यह कहना सही है कि प्र०पी०-04 के मुलाहिजा रिपोर्ट में भी मोटरसायकल क्र०- CG-12-CZ-9448 द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना लेख है । यह कहना सही है कि मोटरसायकल क्र०- CG-12-CZ-9448 द्वारा ही दुर्घटना कारित की गई थी ।

15- दुर्घटना दिनांक 14-05-2022 को घटित हुई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15-09-2022 को की गई थी । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये मेरे पति द्वारा विलंब से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मैं और मेरे पति हेलमेट नहीं पहने थे । यह कहना सही है कि दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मेरा हेलमेट जप्त नहीं किया गया है । स्वतः कहा कि मेरे पति हेलमेट पहने थे एक्सीडेंट के समय हेलमेट दूर फेंका गया था । यह कहना सही है कि मैं, हेलमेट नहीं पहनी थी ।

16- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अनावेदक क्र०-01 के पास मोटरसायकल चलाने का लाईसेंस नहीं था। यह कहना सही है कि प्र०पी०-01 के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक क्र०-01 के पास मोटरसायकल चलाने का लाइसेंस नहीं था इसी कारण उसके विरूद्ध धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के तहत पुलिस के द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है ।

17- यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मैं कोई कार्य नहीं करती थी और मेरी कोई आय नहीं थी । यह कहना सही है कि इस संबंध में मेरे द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि मैं कोई कार्य नहीं करती थी और मेरी कोई आय नहीं थी इसी कारण मैंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ।

18- यह कहना सही है कि मेरा आयुष्मान कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड बना हुआ है । यह कहना सही है कि उक्त कार्ड के अंतर्गत शासकीय व्यय पर ईलाज किया जाता है । यह कहना सही है कि ईलाज का कोई पर्ची पेश नहीं किया हूं ।

19- यह कहना गलत है कि मुझे दुर्घटना में कोई गंभीर चोट नहीं आई थी । यह कहना गलत है कि मुझे गंभीर चोट नहीं आई थी इसलिये मैंने डिस्चार्ज समरी एवं ईलाज की पर्चियां पेश नहीं की है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रदर्शित मेडिकल बिल उक्त दुर्घटना में कारित चोट के ईलाज से संबंधित नहीं है ।

20- यह कहना सही है कि प्र०पी०-04 में मेरे सिर, हाथ एवं जबड़े का एक्स-रे कराने एवं दिमाग का सिटी स्कैन कराने की सलाह दिया जाना लेख है । यह कहना सही है कि मैंने एक्स-रे रिपोर्ट एवं सिटी स्कैन प्रकरण में संलग्न नहीं किया है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के कारण मुझे कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई थी । यह कहना गलत है कि प्र०पी०-08,09 एवं प्र०पी०-11 के मेडिकल बिल उक्त दुर्घटना में कारित चोट के ईलाज के बिल नहीं है ।

21- यह कहना गलत है कि वर्तमान में पूर्णतः स्वस्थ हूं तथा मुझे कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है । स्वतः कहा कि हाथ में थोड़ा दिक्कत होता है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरी उम्र 51-52 वर्ष थी । यह कहना सही है कि मैंने अपने उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना सही है कि मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता पर्ची बना हुआ है । उक्त सभी दस्तावेज मेरे घर में मौजूद है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपने आधार कार्ड की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है । यह कहना सही है कि मेरे आधार कार्ड में मेरी जन्मतिथि 22-07-1980 लिखा हुआ है । स्वतः कहा कि दो साल उम्र बढ़ा हुआ है । यह कहना सही है कि मैंने इस प्रकरण में अपना उम्र 38 वर्ष लेख किया है । मेरा आधार कार्ड मेरे पति के द्वारा बनवाया गया है । यह कहना गलत है कि मैंने अपने सही उम्र छिपाने के आशय से उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ।

22- यह कहना गलत है कि दुर्घटना के कारण मुझे कोई आर्थिक क्षति कारित नहीं हुई है । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये मैं झूठा बयान दे रही हूं ।

<u>अनावेदक क्र०-01 एकपक्षीय</u>

<u>समय-01.45 बजे तक ।</u>

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
(गरिमा शर्मा)
प्रथम अतिरिक्त मो०दु०दा० अधिकरण
कोरबा (छ०ग०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/-
(गरिमा शर्मा)
प्रथम अतिरिक्त मो०दु०दा० अधिकरण
कोरबा (छ०ग०)

GARIMA SHARMA
Digitally signed by GARIMA SHARMA